बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं० 08/2018)

विज्ञापन संख्या 08/2018, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना में सहायक के कुल 51 (इक्यावन) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17.03.2019 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में मुख्य परीक्षा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

2. मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगेः–

(क) प्रश्न पत्र 1 : विषय– सामान्य हिन्दी

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- (ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय, सामान्य ज्ञान (प्रश्नपत्र–2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।
- (iii) प्रश्न पत्र –1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।
- (iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या– 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2: विषय–सामान्य ज्ञान

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- (ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगीः–
  - (क) सामान्य अध्ययन – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
  - (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
  - (ग) मानसिक क्षमता जाँच – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
- (iii) प्रश्न पत्र–2 हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम का उल्लेख आयोग की सहायक (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं० 08/2018) की कंडिका **5 (E)** में किया जा चुका है तथा यह आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3. मेधा सूची – मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक– 16.07.2007 एवं पत्रांक–6706, दिनांक– 01.10.2008 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. आरक्षण:–

(i) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा, एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) **(A)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र०सं०	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति	SC
2.	अनुसूचित जनजाति	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग	BC

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

4. शुल्क :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये
(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। **प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के समय भरे गये कोटि के अनुसार परीक्षा शुल्क मान्य होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।**

5. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–

1.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक 09.05.2019 से 15.05.2019 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.05.2019 तक
3.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.05.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट–1: **जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक 15.05.2019 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(i) ध्यातव्य है कि आवेदक द्वारा सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, वि०सं० 08/2018 हेतु ऑनलाईन आवेदन के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वही सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनालाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक केवल उक्त ऑनलाईन आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(iv) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(v) **ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

(vi) **मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है।**

6. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) **अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 30.05.2019 के अपराह्न 5:00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–**

(a) मैट्रिक का प्रमाण पत्र/मैट्रिक का अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);

(b) स्नातक एवं समकक्ष डिग्री प्रमाण पत्र;

(c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा राज्य के स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की)

महिला उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का स्थायी निवास प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(d) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;

(e) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र;

(f) भुगतान से संबंधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;

(g) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(h) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) **यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।**

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

7. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

8. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

9. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

10. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

11. **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

12. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

8.5.19

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना